फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देंखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भलीं भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) वित्तीय वर्ष - 2017-2018 (धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण	**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**				
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
00-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर					
09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय					
00-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**432000**	**30000**	**15000**	**15000**	**417000**
योग:	**432000**	**30000**	**15000**	**15000**	**417000**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण	**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**				
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	8	9	10	11	12
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
00-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर					
09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय					
00-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए व्यय	**20000**	**15000**	**15000**	**15000**	**35000**
योग:	**20000**	**15000**	**15000**	**15000**	**35000**

(1) स्तम्भ 3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-
वास्तविक व्यय के आधार पर अनुदान संख्या-89-लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के अंतर्गत मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद में रुपये 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड़ मात्र) की बचत सम्भावित है।

उपशीर्षक-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित मानक मद-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए व्यय की मद में रुपया 1,50,00,000/- (रुपया एक करोड़ पचास लाख मात्र) की सिस्टम इन्टीग्रेटर के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तत्काल अत्यन्त आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अरविन्द कुमार)
अनुसचिव,
कर एव निबन्धन विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-आर0ई0-159/ई-9-यू0ओ0-493/दस-2017, दिनांक: 03-01-2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(संजय कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-05/2018/क0नि0-4-1446(2)/11-2017, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- बजट सहायक/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव,
कर एवं निबंधन विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in